(131)

माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्र0क0 /2017

R 1234-PB/17

बालूसिंह पिता दुलेसिंह आयु 51 वर्ष जाति सोंधिया राजपूत व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम झारडा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0।

..........................प्रार्थी

अभिभाषक श्री ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30-3-17 अधीक्षक 30.3.17 आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विरुद्ध

1. ईश्वरलाल पिता रामनारायण कुमावत आयु 40 वर्ष
2. राजेश पिता रामनारायण कुमावत आयु 37 वर्ष
3. शारदादेवी पिता रामनारायण कुमावत आयु 60 वर्ष
4. श्यामुबाई विधवा दिनेशकुमार कुमावत आयु 40 वर्ष सभी व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम झारडा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म0प्र0।

.... प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका न्यायालय तहसीलदार महिदपुर की न्यायालय में राजस्व प्रकरण कमांक 02 अ 70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1231—पीबीआर/17 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26—7—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.9.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रकरण संहिता की धारा 250 के सम्बन्ध में है, जिसके सुनने का क्षेत्राधिकार उन्हें है । तहसीलदार का यह निष्कर्ष सही है । अभी उभय पक्ष को अपकनी—अपनी साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है । अतः तहसीलदार के प्रकरण पर आवेदक की प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने की मांग अमान्य करने में तहसीलदार नें कोई त्रुटि नहीं की है । फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	